पत्रांक–1प्रा0आ0–32/2008...2493...../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

विशेष जिला पदाधिकारी,
अररिया, मधेपुरा।
जिला पदाधिकारी,
सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया एवं पूर्णियां।

पटना–15, दिनांक– 5 सितम्बर, 2008

विषयः राहत केन्द्र के संबंध में ।

महाशय,

बाढ़ साहाय्य राहत शिविर के संबंध में अभी भी कतिपय जिला पदाधिकारी स्पष्ट नहीं हैं। बाढ़ साहाय्य राहत शिविर के सफल संचालन हेतु निम्नांकित व्यवस्था करनी हैः

1. **पंजीकरण** – कैम्प में विस्थापितों को पंजीकृत किया जाय, जिसमें उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी दर्ज रहनी चाहिए। इस कार्य हेतु आंगनबाड़ी सुपरवाइजर/सेविका/नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक/साक्षरता/सर्वशिक्षा अभियान के पदाधिकारी/शिक्षक/पंचायत रोजगार सेवक की सेवा ली जा सकती है।

2. **पका हुआ भोजन** – विस्थापितो को पका हुआ भोजन दो बार (सुबह–शाम) मुहैय्या कराया जाना है । इसके लिए सामान्य रूप से चावल की खपत होगी। आपको मुफ्त साहाय्य वितरण हेतु चावल का आवंटन किया गया है, जिसे इस कार्य हेतु उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दाल, सब्जी, तेल, ईंधन आदि की आवश्यकता होगी। यह प्रयास करें कि भोजन व्यवस्था में खाना बनाने से लेकर खाना खिलाने तक का कार्य यथासंभव स्वयं सहायता समूह (self help group) के माध्यम से कराया जाय।

भोजन तैयार करने के लिए रसोइये की जरूरत होगी। कैम्प में आए हुए विस्थापित महिलाओं/पुरुषों की सेवाएं इस कार्य हेतु में ली जा सकती है। उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग की निर्धारित दर पर किया जाएगा।

पका हुआ भोजन स्वच्छ एवं पौष्टिक होना चाहिए। <u>इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाय कि बासी भोजन का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं हो।</u>

3. दरी/चटाई – विस्थापितों के विश्राम के लिए कैम्प में दरी/चटाई की व्यवस्था की जायेगी।
4. वस्त्र – सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत विभागीय पत्र संख्या 2462 दिनांक 12.08.07 द्वारा निर्धारित मानदर के मद संख्या 1(ड़) के आलोक में कपड़ा के लिए 1000रु0 प्रति परिवार वैसे परिवारों के लिए अनुमान्य है जिनका घर वह गया है/ पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है। इस राशि का वितरण कर लिया जाय। इससे प्रभावित परिवार आवश्यक वस्त्र का क्रय कर लेंगे।

5. **<u>बच्चों के लिए दुग्ध</u>** – पॉच वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन दो वक्त (सुबह-शाम) आवश्कतानुसार कम्फेड द्वारा दुग्ध मुहैय्या कराया जाएगा ।

6. **<u>रोशनी</u>** – कैम्प में रोशनी की समुचित व्यवस्था रहनी चाहिए । इसके लिए generator में diesel/kerosene, अथवा लालटेनों में kerosene, का व्यय अनुमान्य होगा।

7. **<u>पेयजल, अस्थायी शौचालय, स्वच्छता</u>** – पुरुष एवं महिला के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए । सफाई के लिए साबुन/डिटर्जेन्ट पाउडर, फेनाईल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। इस कार्य की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा की जाएगी। इस हेतु प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाएं ली जा सकती है।

8. **<u>स्वास्थ्य एवं चिकित्सा</u>** – कैम्प में औषधी के साथ चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहेंगे ।

9. **<u>सुरक्षा व्यवस्था</u>** – अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए समुचित आरक्षी बल की व्यवस्था कैम्प में की जायगी ।

10. **<u>संचार सुविधा</u>** –आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कैम्प में संचार सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।

11. **<u>मानदर</u>** – कैम्प व्यवस्था हेतु मानदर निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था। कैम्प हेतु निम्नलिखित मानदर निर्धारित की जाती है:-

1. पका हुआ भोजन	(क) दो वक्त (सुबह-शाम) विस्थापितों को दिया जायेगा ।
	(ख) मुफ्त वितरण हेतु जिलों को उपलब्ध कराए गए चावल का उपयोग राहत शिविर में किया जाएगा ।
	(ग) चावल प्रति व्यस्क- 500 ग्राम, प्रति अवयस्क- 200 ग्राम, प्रति दिन की दर से दिया जाएगा ।
	(घ) दाल 100 ग्राम, व्यस्क एवं अवयस्क को प्रतिदिन दिया जाएगा ।

	(ड़0) सब्जी के लिए आलू प्रति व्यक्ति 200 ग्राम, प्रतिदिन की दर से ।
	(च) तेल, मशाला, ईंधन आदि के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 10 रू0 की दर से ।
	(छ) रसोईयॉ के पारिश्रमिक का भुगतान श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा । (ज) दाल, तेल, सब्जी, एवं ईंधन के दर का निर्धारण स्थानीय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा ।
2. रोशनी	(क) रोशनी के लिए भाड़े पर जेनरेटर की व्यवस्था ।
	(ख) जेनरेटर के भाड़ा का निर्धारण जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा किया जाएगा ।
	(ग) 1 माह मे 100 (एक सौ) लीटर डीजल, अनुमान्य होगा ।
	(घ) आवश्यकतानुसार लालटेन तथा किरासन तेल का उपयोग किया जाएगा जिसका आंकलन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।
3. दरी/ चादर	इसकी व्यवस्था सरकारी संस्था/ स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य श्रोत से प्राप्त सामग्री से की जाएगी । अनउपलब्धता की स्थिति में जिला पदाधिकारी, नियमानुसार क्रय करने की कार्रवाई करेंगे ।
4. बच्चों के लिए दुग्ध	(क) पॉच वर्ष के आयु वर्ग तक के बच्चों को दुग्ध कम्फेड द्वारा मुहैया कराया जाएगा।
	(ख) कम्फेड द्वारा मुहैया कराये गए मिल्क पाउडर के वास्तविक खर्च का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
5. वस्त्र	(क) विभागीय पत्रांक-2462 दिनांक-12.08.07 द्वारा निर्धारित मानदर के मद संख्या-1(ड0) के आलोक में 1000 रूपया अनुमान्य है इस राशि का वितरण वैसे परिवारों को किया जाएगा जिनका घर बह गया है/ पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गया है ।
6. पेयजल/ अस्थायी शौचालय/ स्वच्छता	इसकी व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कि जाएगी । इसके व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी ।
7. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	इसकी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी व्यय की प्रतिपूर्ति आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी ।
8. संचार	शिविर में दूरभाष की सुविधा की व्यवस्था पर किया गया व्यय सी0 आर0 एफ0 मद से अनुमान्य होगा ।
9. कैम्प व्यवस्था	परिवहन तथा आकस्मिक व्यय- यथा आवश्यकता।

उपरोक्त मानदर आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगा।

12. **<u>लेखा/पंजियों का संधारण</u>** – कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निम्न पंजियां संधारित की जाएगी।

(क) लेखा से संबंधित रोकड़बही।

(ख) सामग्रियों की आमद एवं खपत से संबधी पंजी संधारित की जाएगी। इसका नियंत्रण/सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा प्रतिदिन किया जाएगा ।

(ग) विस्थापित पंजीकृत व्यक्ति को ही भोजन उपलब्ध कराया जाएगा । इसे सुनिश्चित किया जाय । भोजन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की भी एक पंजी अलग से संधारित की जाएगी जिसका सत्यापन प्रतिदिन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा ।

(घ) कम्फेड से प्राप्त होने वाले मिल्क पाउडर के लिए स्टॉक पंजी संधारित की जाय क्योंकि कम्फेड को इसकी कीमत का भुगतान किया जाएगा । बच्चों को वितरित किये गये दुग्ध से संबंधित पंजी का भी संधारण किया जाएगा, जिसका सत्यापन कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी प्रतिदिन करेंगे ।

(ड़) सरकारी संस्था/स्वयंसेवी संस्था अथवा अन्य स्रोत से प्राप्त सामग्री का उपयोग कैम्प संचालन हेतु किया जा सकता है। इसके लेखा-जोखा के लिए अलग से कैम्प के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पंजी संधारित की जाएगी।

कैम्प की व्यवस्था पर व्यय निम्नलिखित मदों से विकलनीय होगाः-

1	भोजन सामग्री	2245-02-101-0002- खाद्यान्न की आपूर्त्ति
2	दरी/चटाई एवं रोशनी	2245-02-112-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण
3	वस्त्र एवं बर्त्तन	2245-02-101-0004-वस्त्र/ बर्त्तन
4	बच्चों के लिए दूध	2245-02-800-0006-कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार
5	पेयजल	2245-02-102-0001- पेयजल की आपूर्त्ति
6	अस्थायी शौचालय	2245-02-109-0001- खराब जलापूर्त्ति मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मति/प्रत्यस्थापना
7	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	2245-02-282-0001-मानव दवा 2245-02-282-0003- पी0ओ0एल0 की आपूर्त्ति
8	संचार सुविधा	2245-02-112-0004- संचार उपकरणों का क्रय

विश्वासभाजन,

(आर0 के0 सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 2493 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 5 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/ कल्याण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-2493 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक सितम्बर, 2008

प्रतिलिपिः आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा एवं पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-2493 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 5 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपिः सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-2493 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 5 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-2493 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक 5 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपिः माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव